

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, भिवानो ।

आदेश क्रमांक 2550 इ.डी. प्र.0पी.0 2255-78 का.5 (भिवानो)को 01.04.95 दिनांक 18/04/95
 से पहले से पंचवती वक्षा तक को स्थायी मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान को जातो है :-

- 1- कि यह संस्था शिक्षा विभाग से किसी भी पद को स्वीकृत तथा सहायता इत्यादि को मांग नहो करेगी तथा अपने हो छर्च पर स्कूल चलावेगी ।
- 2- कि संस्था निरधारित नाम अनुसार विद्यालय के ट्रेंड जे बो. टो. बो. एड. अध्यापकों को नियुक्त मान्य तरीकों से हो करेगी ।
- 3- कि संस्था एजुकेशन कोड को धारा 214 से 237 तक को सभी शर्तों का पालन करेगी अन्यथा किसी भी समय निरोक्षण के दौरान किसी भी शर्त पर कोताही पाई गई तो स्थायी मान्यता समाप्त करदो जायेगी ।
- 4- कि संस्था द्वारा अध्यापकों का माह का वेतन जो अधोहस्ताक्षरों के ताम रहन को जानो है । 31.03.1996 तक जमा नहो करवाई तो स्थायी मान्यता समाप्त करदो जायेगी ।

- 28 -
 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
 भिवानो ।


पू. क्रमांक :


दिनांक

इसको एक प्रति निर्माणांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ।

- 1- सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य
- 2- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- 3- सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा, राज्य ।
- 4- सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला भिवानो ।
- 5- सभी उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, जिला भिवानो ।
- 6- चेयरमैन हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानो ।
- 7- मैनेजर,
- 8- मुख्याध्यापक, S.E.D Poy School Barsana Mod (Ch. Dadri)
- 9- अनुभाग अधिकारी लोकल

Vinod Kumar
 Secretary
 S.E.D. Sr. Sec. School
 Barsana Mor, Birhi Kalan
 Charkhi Dadri


 Principal
 S.E.D. Sr. Sec. School
 Barsana Mor, Birhi Kalan


 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
 भिवानो

कार्यालय शिक्षा विभाग अधिकारी, भिवानी ।

आदेश क्रमांक एस0 ओ0-98/756-781 दिनांक 20-4-98

एस0 डी0 विद्यालय बरसाना मोड़ को माध्यमिक स्तर तककी स्थाई मान्यता 1-4-98 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है ।

- 1- संस्था विभाग से किसी प्रकार की ग्रांट की मांग नहीं करेगी।
- 2- संस्था अपने खर्चों पर विद्यालय चलायेगी ।
- 3- विद्यालय शिक्षा कोड की धारा 214 से 239 तक की सभी शर्तों की पूर्ण तथा पालन करेगा ।
- 4- विद्यालय स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर की शेष राशी तीन समान किस्तों में 30-9-98 तक जमा करेगी ।
- 5- स्टाफ की नियुक्तियों नियमानुसार तथा आरक्षण का ध्यान रखाते हुये की जायेगी । तथा प्रबन्धक उनका पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेगे । सरकार से किसी प्रकार का अनुदान व पद की मांग नहीं करेगा ।
- 6- सरकार/विभाग/ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय पर जारी हिदायतों /निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- 7- स्टाफ को वेतन बैंक पैक के द्वारा किया जायेगा ।
- 8- हरियाणा शिक्षा विभाग/ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढाई जायेगी ।
- 9- विद्यालय द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जायेगी ।
- 10- विद्यालय द्वारा नियमित लेखा परीक्षा कराई जायेगी । जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाने वाली समस्त निर्धार्य समय पर अदा की जायेगी ।
- 11- विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकेगी ।

पू0 क्र0 सम

अजीत सिंह राठी
जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी ।

इसकी एक प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

- 1- निदेशक सकेन्द्री शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- 2- सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा, राज्य ।
- 3- सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
- 4- उप- मण्डल शिक्षा अधिकारी भिवानी/ दादरी/ लोहाक
- 5- मुख्याध्यापक एस0 डी0 उच्च विद्यालय, बरसाना मोड़

Pratree
जिला शिक्षा अधिकारी
भिवानी ।

Vinod Kumar
Secretary
S.E.D. Sr. Sec. School
Barsana Mor, Birhi Kalan
Charkhi Dadri

MR
Principal
S.E.D. Sr. Sec. School
Barsana Mor, Birhi Kalan
Charkhi Dadri

OFFICE OF DIRECTOR SCHOOL EDUCATION, HARYANA, CHANDIGARH

ORDER NO.19/75-2006-PS(4)

DATED, CHANDIGARH, THE 08.05.2007

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003, sanction is hereby accorded to grant permanent recognition to S.E.D. Sr. Sec. School, Barsana Mor, Birhi Kalan (Bhiwani) for Class 9th to 12th (Arts, Commerce and Science Streams) under BOSE pattern with effect from 01.04.2007 run by Managing Committee, Bigowa Education Society, Vill. Bigowa (Bhiwani) under following terms and conditions:-

TERMS & CONDITIONS: -

1. The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.
2. The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipt of fees/funds to the students.
3. Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition.
4. No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.
5. School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth or any other whimsical.
6. Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
7. Managing Committee shall not close down the school or an existing class during the academic session without the prior approval of the appropriate authority.
8. The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority.
9. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.
10. No financial assistance shall be granted by the Department to the school.
11. School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities.
12. Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
13. The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the Govt./ Department as required.
14. In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.
15. School will provide ramp within six months.


K.K. Khandelwal
Commissioner and Director General School Education,
Haryana, Chandigarh


Endst. No. Even

Dated, Chandigarh, the 08-05-2007

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Manager, Bigowa Education Society, Vill. Bigowa (Bhiwani).
2. District Education Officer, Bhiwani.
3. Secretary, Board of School Education, Bhiwani.
4. Principal, S.E.D. Sr. Sec. School, Barsana Mor, Birhi Kalan (Bhiwani).
5. Additional Deputy Commissioner, Bhiwani.
6. Copy for master file.


Secretary
S.E.D. Sr. Sec. School


Principal
S.E.D. Sr. Sec. School

